21/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 1/13 तारीख रजू– 07/01/13

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। ———प्रार्थी

बनाम

1. रामावतार पुत्र तुलसीराम जाति मीना निवासी अनियाला तहसील खण्डार।
2. पृथ्वीराज पुत्र तुलसीराम जाति मीना निवासी अनियाला तहसील खण्डार।
3. कंचन बेवा तुलसीराम जाति मीना निवासी अनियाला तहसील खण्डार।
4. रामप्रसाद पुत्र घूडया जाति मीना निवासी अनियाला तहसील खण्डार।
5. रामबिलास पुत्र घूडया जाति मीना निवासी अनियाला तहसील खण्डार।
6. मैनेजर सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैक लि0शाखा खण्डार।

———अप्रार्थी

निर्णय दिनांक–22.2.18

न्यायालय हाजा के वाद प्रार्थना पत्र संख्या 22/09 में पारित निर्णय दिनांक 14.01.10 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत ग्राम अनियाला का गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 215 दिनांक 01/12/72 व कालान्तर में विरासत का नामान्तकरण संख्या 821 का दिनांक 02/06/89 व 1033 दिनांक 10/12/99 , बैक रहन का नामान्तकरण संख्या 965 दिनांक 20/03/97 व 985 दिनांक 04/05/98 बाबत् आराजी खा0नं0 58 रकबा 3 बीधा व तत्पश्चात् राजस्व अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राज बहक अप्रार्थीगण अनियमित होने से निरस्त करने की राय से रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया गया था। उक्त रेफरेन्स में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22/11/2012 द्वारा उक्त प्रकरण रिमाण्ड कर निम्न निर्देश के साथ प्रेषित किया गया।

1– गैर मुमकिन नाला किस्म की भूमि की किस्म परिवर्तन करके बारानी–3 कब व किस आदेश से दर्ज की गयी और उक्त आदेश में क्या अनियमितता है।

2– अप्रार्थीगण के पूर्वज धूड़या पुत्र देवा मीना के नाम जारी नियमन आदेश का परिक्षण करे और उक्त आदेश की प्रतिलिपि भी पत्रावली में संलग्न करे।

उक्त दोनों बिन्दुओं का परिक्षण करने के पश्चात् उचित समझा जावे तो नवीनतमः रिफरेन्स मण्डल को प्रेषित करे।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

22/A

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये । उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रिमाण्ड होकर आया है। राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार यह देखना है कि उक्त वाद आराजीयात गैर मुमकिन नाला किस्म की भूमि की किस्म परिवर्तन करके बारानी–3 कब व किस आदेश से दर्ज की गयी और उक्त आदेश में क्या अनियमितता है एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज धूड़या पुत्र देवा मीना के नाम जारी नियमन आदेश का परिक्षण करना करना है। ग्राम अनियाला के नामान्तकरण संख्या 215 दिनांक 1.12.72 द्वारा नियमन खातेदारी स्वीकार हुई है। जो नियम विरूद्ध है। ग्राम अनियाला के जमाबन्दी सम्वत् 2004 से 2023 में आराजी खं0नं0 58 रकबा 6 बीधा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0नाला सिवायचक रूप में अभिलिखित है, साथ ही वकील प्रार्थीगण ने ग्राम अनियाला का गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 215 दिनांक 01/12/72 व कालान्तर में विरासत का नामान्तकरण संख्या 821 का दिनांक 02/06/89 व 1033 दिनांक 10/12/99 , बैक रहन का नामान्तकरण संख्या 965 दिनांक 20/03/97 व 985 दिनांक 04/05/98 बाबत् आराजी खं0नं0 58 रकबा 3 बीधा व तत्पश्चात् राजस्व अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राज बहक अप्रार्थीगण अनियमित होने से निरस्त करने की राय से रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वाद आराजीयात गैर मुमकिन नाला किस्म की भूमि की किस्म परिवर्तन करके बारानी–3 कब व किस आदेश से दर्ज की गयी उक्त आदेश की प्रति व एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज धूड़या पुत्र देवा मीना के नाम जारी नियमन आदेश संबंधित पत्रावली का अवलोकन करना है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा उक्त किस्म परिवर्तन आदेश व नियमन आदेश संबंधित पत्रावली न्यायालय हाजा को पेश नहीं की है तथा एक रिपोर्ट इस आश्य की पेश की है कि उक्त दोनो आदेश से संबंधित दस्तावेजों को काफी तलाश करने पर भी तहसील कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जो न्यायोचित नहीं है। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22/11/2012 के निर्देशानुसार उक्त दोनों आदेशों से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करना अति0 आवश्यक है। उक्त वाद आराजीयात वर्तमान में समतल व काबिज काश्त है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से इस निर्देशानुसार उक्त वाद आराजीयात गैर मुमकिन नाला किस्म की भूमि की किस्म परिवर्तन करके बारानी–3 कब व किस आदेश से दर्ज की गयी और उक्त आदेश

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में क्या अनियमितता है एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज धूड़या पुत्र देवा मीना के नाम जारी नियमन आदेश का परिक्षण करना करना है। पत्रावली का अवलोकन किया गया उक्त दोनों निर्देशों की पालना में तहसीलदार खण्डार से उक्त आदेशों से संबंधित पत्रावली की प्रति चाही गई थी। तहसीलदार खण्डार के पत्र दिनांक 13/02/15 द्वारा उक्त आदेशों की प्रति काफी तलाश करने पर भी तहसील कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है तथा राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना के बिना मै रेफरेन्स स्वीकार करना न्यायोचित नहीं समझता हुँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार, खण्डार का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उक्त वाद आराजीयात गैर मुमकिन नाला किस्म की भूमि की किस्म परिवर्तन करके बारानी–3 कब व किस आदेश से दर्ज की गयी और उक्त आदेश में क्या अनियमितता है एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज धूड़या पुत्र देवा मीना के नाम जारी नियमन आदेश की प्रमाणित प्रति सहित नये सिरे से न्यायालय हाजा में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 22.2.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर